1. **वेतन**

राज्य सभा के सदस्य के रूप में संपूर्ण कार्यकाल के दौरान प्रतिमास संदेय ₹ 50,000।

2. **दैनिक भत्ता**

सत्र और समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन ₹ 2,000 सत्र की शुरुआत से तत्काल तीन दिन पूर्व और समाप्ति के तत्काल तीन दिन बाद; और समिति के कार्य के शुरू होने से तत्काल दो दिन पूर्व और समाप्ति के बाद तत्काल दो दिनों की अवधि के लिए दैनिक भत्ता भी अनुमेय है बशर्ते कि सदस्य कार्य के स्थान पर उपस्थित हो। दैनिक भत्ता केवल तभी अनुमेय है जब सदस्य इस प्रयोजनार्थ रखी गई पंजिका में हस्ताक्षर करता है।

3. **निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता**

राज्य सभा के सदस्य के रूप में संपूर्ण कार्यकाल के दौरान संदेय ₹ 45,000/- प्रतिमास।

4. **कार्यालय व्यय भत्ते**

प्रतिमास ₹ 45,000/-जिसमें से:

(i) ₹ 15,000/-सदस्य को लेखन सामग्री और डाक पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संदेय होंगे; और

(ii) ₹ 30,000/-सदस्य द्वारा लिपिकीय सहायता के लिए काम पर रखे गए व्यक्ति(यों) को संदेय होंगे जो उस तारीख से संदेय होंगे जिस तारीख को ऐसे व्यक्ति(यों) को काम पर रखे जाने की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर संसद सदस्य, वेतन और भत्ते शाखा को दी जाएगी।

5. **यात्रा भत्ता**

(i) राज्य सभा के सत्र अथवा किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा संसद सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ अपने प्रायिक निवास स्थान (यूपीआर) से कार्य स्थल तक और वापसी के लिए यात्रा भत्ता निम्नानुसार स्वीकार्य है:

(क) रेल द्वारा — पहले दर्जे के एक टिकट और दूसरे दर्जे के एक टिकट का किराया।

(ख) विमान द्वारा — वायुयान का एक टिकट एवं उसके एक चौथाई टिकट का किराया।

(ग) सड़क मार्ग द्वारा — 16 ₹ प्रति किलोमीटर का सड़क मील भत्ता।

(ii) दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत रहने वाले संसद सदस्यों और उनकी पत्नियों/पतियों के लिए सड़क मील भत्ता सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए अनुमेय है चाहे यह मार्ग रेल मार्ग से जुड़ा हुआ क्यों न हो।

(iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में रहने वाले संसद सदस्यों और उनकी पत्नियों/पतियों के लिए सड़क मील भत्ता उनके प्रायिक

निवास स्थान से उनके निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए भी अनुमेय है चाहे यह मार्ग रेल मार्ग से जुड़ा हुआ क्यों न हो।

(iv) **हवाई यात्रा** — संसद सदस्य वर्ष में 34 एकल हवाई यात्राएं करने का हकदार है जिसे वह अकेले अथवा पति/पत्नी अथवा कितनी भी संख्या में साथियों अथवा संबंधियों के साथ सम्पन्न कर सकेगा/सकेगी। पति/पत्नी, साथियों अथवा संबंधियों द्वारा की गई ऐसी कोई यात्रा 34 हवाई यात्राओं की सीमा की गणना में शामिल की जाएगी। इन 34 नि:शुल्क हवाई यात्राओं में से किसी सदस्य के पति/पत्नी अथवा साथी **उस सदस्य से मिलने के लिए** अकेले अधिकतम 8 हवाई यात्राएं करने के हकदार होंगे। किसी वर्ष में शेष बची हवाई यात्राएं आगामी वर्ष में जुड़ जाएंगी। किसी वर्ष विशेष में, 34 से अधिक की गई हवाई यात्राओं, जिसकी अधिकतम सीमा 8 होगी, का समायोजन आगामी वर्ष के लिए उपलब्ध 34 हवाई यात्राओं में से किया जाएगा। एक बार में सिर्फ 8 एक्सचेंज ऑर्डर जारी किए जाएंगे परंतु विधवाओं, विधुरों अथवा अविवाहितों को छोड़कर किसी अन्य साथी के पक्ष में कोई एक्सचेंज ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा।

6. **रेल यात्रा सुविधाएं—सदस्य के लिए**

एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेलवे पास दिया जाएगा जिससे सदस्य अकेले अथवा पति/पत्नी के साथ भारत में किसी भी रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में और साथ में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में एक साथी के साथ यात्रा करने का हकदार होगा। जिस सदस्य के पति/पत्नी नहीं हैं वह पति/पत्नी के स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ उसी श्रेणी में और साथ में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में एक साथी के साथ यात्रा करने का हकदार होगा।

पति/पत्नी के लिए

(i) सदस्य का पति/उसकी पत्नी उसके प्रयोग के लिए सदस्य को रेलवे द्वारा पृथक रूप से जारी नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास पर सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली/नयी दिल्ली और वहां से वापस प्रायिक निवास स्थान तक किसी भी ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने का/की हकदार है।

(ii) जब संसद का सत्र चल रहा हो तब सदस्य का पति/उसकी पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वहां से वापस अपने प्रायिक निवास स्थान तक विमान और रेल/सड़क मार्ग से, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी विमान/सड़क यात्राओं की कुल संख्या वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी, यात्रा करने का/की हकदार होगा/होगी।

7. टेलीफोन सुविधाएं

(i) सदस्य दो नि:शुल्क टेलीफोन, एक दिल्ली स्थित अपने आवास अथवा कार्यालय में और दूसरा अपने प्रायिक निवास स्थान अथवा उसके द्वारा अपने राज्य अथवा उस राज्य में जहां वह रहता है, में चयनित किसी स्थान में, रखने का हकदार है जिनमें से प्रत्येक टेलीफोन पर वर्ष के दौरान 50,000 स्थानीय कॉलें

मुफ्त होंगी। तथापि, किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष अपने दिल्ली/नई दिल्ली स्थित आवास पर अध्यक्ष की हैसियत से संस्थापित टेलीफोन से की गई कॉलों के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने से मुक्त है।

(ii) प्रत्येक सदस्य **इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ** दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अपने आवास अथवा अपने प्रायिक निवास स्थान अथवा उसके द्वारा अपने राज्य अथवा उस राज्य में जहां वह रहता है, में चयनित किसी स्थान पर एक अतिरिक्त टेलीफोन रखने का भी हकदार है जिस पर वर्ष के दौरान 50,000 कॉलें मुफ्त होंगी। तथापि, वर्ष के दौरान तीनों टेलीफोनों में से प्रत्येक पर मिलने वाली 50,000 मुफ्त स्थानीय कॉलों को एक साथ मिलाकर अर्थात् 1,50,000 मुफ्त स्थानीय कॉलें की जा सकती हैं।

(iii) सदस्य राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा वाला एम०टी०एन०एल० का एक मोबाइल फोन कनेक्शन रखने का भी हकदार है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग के लिए राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा वाला एम०टी०एन०एल० अथवा बी०एस०एन०एल० का एक अन्य मोबाइल कनेक्शन रखने का भी हकदार है और इन मोबाइल फोनों से की गई कॉलों का समायोजन उपलब्ध 1,50,000 मुफ्त स्थानीय कॉलों में से किया जाएगा। जिन स्थानों में एम०टी०एन०एल० अथवा बी०एस०एन०एल० की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां सदस्य इस शर्त के अध्यधीन किसी निजी मोबाइल ऑपरेटर से ये कनेक्शन ले सकता है कि रजिस्ट्रेशन एवं किराया प्रभार का वहन स्वयं उसके द्वारा किया जाएगा।

(iv) सदस्य उसे उपलब्ध किसी भी एक लैण्डलाइन फोन पर एम०टी०एन०एल० अथवा बी०एस०एन०एल० की प्रतिमाह अधिकतम ₹ 1,500/- की ब्रॉडबैण्ड सुविधा का हकदार होगा।

(v) सदस्य उपर्युक्त 1,50,000 मुफ्त स्थानीय कॉलों का लाभ लेने के लिए कितनी ही संख्या में टेलीफोनों का उपयोग कर सकता है परंतु इस शर्त के अध्यधीन कि ये सभी टेलीफोन सदस्य के नाम से हों और अतिरिक्त टेलीफोनों के संस्थापन एवं किराया प्रभार का वहन सदस्य द्वारा स्वयं किया जाए।

(vi) 1,50,000 फोन कॉल के उपलब्ध कोटे से अप्रयुक्त कॉल उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत हो जायेंगी। इसी प्रकार, किसी वर्ष उपलब्ध कोटे से अधिक संख्या में की गई फोन कॉलें अगले वर्ष के उपलब्ध कोटे से समायोजित की जायेंगी।

8. **वाहन अग्रिम**

सदस्य वाहन खरीदने के लिए ₹ 4,00,000/- अथवा वाहन की कीमत, जो भी कम हो, अग्रिम राशि के रूप में ले सकता है। समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित साधारण ब्याज दर पर ब्याज सहित उक्त अग्रिम की वसूली सदस्य के वेतन बिल से साठ से अनधिक मासिक किस्तों, जो उसकी सदस्यता की अवधि से अधिक नहीं होगी, में की जाएगी।